लोक शिक्षण संचालनालय,
गौतम नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/डी/2017–18/1090 भोपाल दिनांक 16/4

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक समस्त, म0प्र0
2. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त, म0प्र0

विषयः– जन समुदाय, विशेषतः स्कूली विद्यार्थियों को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु सुझाव।
संदर्भः– मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का पत्र क्र 01/एमपीएसडीएमए/2018, भोपाल दिनांक 02.04.2018 (विस्मरण).

कृपया मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मध्यप्रदेश के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसकी छायाप्रति संलग्न है। पत्र में जन सामान्य के तापघात से बचाव हेतु विस्तृत सुझाव दिये गये हैं जिनका व्यापक प्रचार–प्रसार अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तापघात से बचाव हेतु प्राधिकरण द्वारा जनजागृति प्रचार सामग्री तैयार की गई है जो उनके वेब–पोर्टल WWW.mpsdma.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

कृपया इस संबंध में समस्त शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक/विद्या/डी/2017–18/1091 भोपाल दिनांक 16/4
प्रतिलिपि :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप–सभापति, म0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन, प्राधिकरण।
2. समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय उमावि/हाई स्कूल/समस्त माध्यमिक/प्राथमिक शाला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रधानाध्यापक

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

गृह विभाग
मध्य प्रदेश शासन
दूरभाष : 0755-2446132, 36, 38

क्र...01.../एमपीएसडीएमए/2018----------

भोपाल, दिनांक...02/04/2018

प्रति,

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
समस्त ज़िला, मध्य प्रदेश

विषयः- जन समुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु सुझाव बावत ।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में अप्रैल –जून माह में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है । प्रदेश में पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि ऐसे वयस्क व्यक्ति लू से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो लू के दौरान दिन में खुले में रहकर कार्य करते हैं,जिसके कारण उनपर अत्यधिक ताप तथा आद्रता का प्रभाव पड़ता है। इनमे अधिकांश वह श्रमिक होते हैं,जो कृषि, उद्योग अथवा अन्य व्यापारिक अथवा औद्योगिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं । लू से होने वाली इस जनहानि को आवश्यक सावधानी लेकर कम किया जा सकता है । अतः सभी ज़िला प्राधिकरण को यह सुझाव दिया जाता है कि लू के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुये इससे होने वाली क्षति को कम करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जायें । इस संदर्भ में निम्नांकित सुझाव भी दिये जाते हैं :-

1. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा प्रतिदिन जारी की जाने वाली संभावित लू की स्थिति से संबन्धित चेतावनी को वेब पोर्टल www.imdbhopal.gov.in तथा भारतीय मौसम विभाग,भोपाल से प्राप्त करने तथा इसे स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से जन सामान्य तथा सभी संबन्धित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2016 में जारी गाइडलाइन अनुसार नगरपालिका, नगरनिगम, नगर पंचायत स्तर पर लू से जनसमान्य के बचाव हेतु कार्य योजना बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जावें । यह गाइडलाइन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.ndma.gov.in पर देखा जा सकता है। इस कार्य योजना के अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश सुनिश्चित किया जावे :-

03. APR 2018

- शैक्षणिक संस्थाओं में " लू से बचाव " **से** संबन्धित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/ सुझाव के बैनर लगाए जाएँ ।

4. ज़िले में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में लू से बचाव के इलाज हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावें । ज़िले के समस्त सरकारी अस्पतालों हेतु निम्नांकित निर्देश भी जारी की जावे :-
    - लू से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबन्धित सुझाव को ज़िले के सभी अस्पतालों के बाहर लिखा जाए ।
    - लू ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयाँ, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे । विशेषकर ओआरएस घोल/ फ्लुइड , लू से उपचार हेतु अन्य दवाइयाँ आदि का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दी जावे ।
    - लू ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
    - लू ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु ज़िला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे ।
    - बहू-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (Multipurpose worker) ,आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर लू से ग्रसित रोगियों की जानकारी प्राप्त करने, उनके समुचित इलाज को सुनिश्चित करने तथा इसकी जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिये जावे ।
5. उपरोक्त कार्यों में सरकारी अमले की सहायता हेतु स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों को चिन्हित कर तथा उनके साथ बैठक कर लू से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जावे ।
6. सार्वजनिक स्थलों पर एम्ब्युलेन्स/108 को विशेषकर दो पहर में तैयारी की स्थिति में रखा जावे ताकि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके ।
7. जन सामान्य द्वारा लू से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबन्धित सुझाव का प्रचार प्रसार होर्डिंग तथा मीडिया के अन्य साधनों से किए जाने की व्यवस्था की जावे । इस कार्य में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जा सकती है ।
8. पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से संबन्धित प्रचार प्रसार की जावे । लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
9. खेतों, बाज़ारों, उद्योगों , भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल एवं आपात स्थिति हेतु कहीं निकट में पर्याप्त शेड की सुनिश्चितता हेतु संबन्धित को आवश्यक निर्देश देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनसमान्य के लू (ताप-घात) से बचाव हेतु एक जन-जागृति प्रचार सामग्री तैयार की गई है। यह प्रचार सामाग्री प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.mpsdma.mp.gov.in पर उपलब्ध है। वेब पोर्टल पर NDMA द्वारा "लू से बचाव" विषय पर तैयार की गई लघु चलचित्र भी उपलब्ध है।

अनुरोध है कि इस प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जावे । अतः उपरोक्तनुसार ज़िले में जनसमान्य के लू (ताप-घात) से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये, की गई कार्यवाही की जानकारी सचिव (गृह) तथा समन्वयक, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिनांक 17-04-2018 तकअवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तनुसार

(सुरेन्द्र सिंह)
उप-सभापति
म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रतिलिपि

पृ. क्र. 02/एमपीएसडीएमए/2017---------- भोपाल, दिनांक 02/04/2018

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त-सह-सचिव, नगरीय प्रशसन एवं विकास,मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।
6. आयुक्त-सह संचालक, पंचायत राज मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप-सभापति
म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, बाज़ारों, प्रमुख कार्यालय आदि (जहां अधिक संख्या में जनसामान्य का आना होता है) को चिन्हित किया जावे ।
- इन चिन्हित स्थानों में लू से बचाव हेतु पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था की जावे ताकि जनसामान्य इन स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाएँ। आवश्यकतानुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था भी की जावे। इस कार्य हेतु जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख कार्य योजना में किया जावे।
- इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फ़र्स्ट ऐड बॉक्स भी रखा जावे तथा इसके उपयोग से संबन्धित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ । स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो ।
- इन चिन्हित स्थलों पर शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे । यह भी सुनिश्चित किया जावे की पेय जल-श्रोत में पीने हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो। इस कार्य की निगरानी हेतु नगरनिगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के कर्मियों की क्षेत्रवार ज़िम्मेदारी निर्धारित की जावे ।
- इन चिन्हित स्थलों पर जन सामान्य के बैठने तथा लू से ग्रसित लोगों के आराम करने की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सकती है ।
- इन चिन्हित स्थलों पर " लू से बचाव " **से** संबन्धित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/ सुझाव के बैनर लगाए जाएँ ।

3. ज़िले के सभी स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा लू से संबन्धित दी गई चेतावनी अनुसार परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जावे। ज़िले के सभी स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं को निम्नांकित बिन्दुओं पर भी निर्देश जारी किए जावे:-

    - शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को शीतल रखने की व्यवस्था की जावे ।
    - शैक्षणिक संस्थाओं में छायादार स्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
    - लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
    - शैक्षणिक संस्थाओं में शीतल पेय जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
    - विद्यालय के पेय जल श्रोत के आस पास सफाई एवं स्वक्षता की सुनिश्चत की जावे ।
    - ज़िले के सभी प्रमुख आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/ विभागों का संपर्क न. का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
    - गंभीर रूप से लू से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन की व्यवस्था तथा इस कार्य हेतु विद्यालय के ज़िम्मेदार शिक्षक का नामांकन किया जावे ।